

प्रतिवेदनपरियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण 1.825किमी. (0.495है०)।

उपरोक्त मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 827/111(2)/06-76(प्रा.आ.)/05 टी.सी. दिनांक 28.03.06 द्वारा 3 किमी. लम्बाई हेतु रु. 53.40 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से उपरोक्त गांवों की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मार्ग के निर्माण से उपरोक्त गांवों की जनता को जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय रानीखेत के साथ-साथ रेल हैड काठगोदाम से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी। इस हेतु वन पंचायत भूमि 0.477है० बेनाप राज्य वन भूमि 0.018 हैं। इस प्रकार कुल 0.495है० वनभूमि की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार कुल 0.495है० वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत